MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH, NEW DELHI, INDIA

AND

THE COLLEGE OF FOOD, AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES, THE OHIO STATE UNIVERSITY (OSU), COLUMBUS, OHIO, USA

FOR COOPERATION IN AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

This Memorandum of Understanding (MoU) is made between the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) having its office at Dr. Rajendra Prasad Road, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001, India, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (hereinafter called "the Council") and the College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences of The Ohio State University, located in Columbus, Ohio, USA (hereinafter called "OSU"), hereinafter collectively referred to as the "Parties".

WHEREAS the Council is charged with the responsibility in India to undertake, aid, promote and coordinate agricultural and animal husbandry education, research and its application in practice; to act as a clearing house of information, in regard to agricultural research and related matters generally and to do all other things as it may consider necessary, incidental and conducive to the attainment of these objectives;

AND WHEREAS OSU desires to establish linkages with premier agricultural research institutions in India, which will provide opportunities to re-establish linkages that were originally established several decades ago and to promote collaborative research;

NOW THEREFORE, the Council and OSU inspired by their common objectives to promote and accelerate the progress of research and training in various disciplines of agricultural research;

HAVE reached the following understanding:

<u>ARTICLE I</u>
Objectives

The Parties hereby agree to promote cooperation in the field through:

a] Exchange of scientists and technologists;
b] Exchange of germplasm and breeding material;
c] Exchange of scientific literature, information and methodology;
d] Development and implementation of collaborative research projects, the areas and methodology to be as mutually agreed upon and subject to the Intellectual Property provisions in Article IV of this Agreement.

Such cooperation shall be implemented by the following means:

i] establishment of mutual relations between the scientific and technical divisions of the organizations of the respective Parties;

ii] creation of facilities for exchange of scientific, technologists and experts and their proper placement;

iii] award of fellowships to scientists and students.

ARTICLE II
Implementation

The Council and OSU may name any member of their staff to work out the practical details of cooperation between the two organizations and in general to ensure proper and effective implementation of this MoU.

ARTICLE III
Work Plans

This MoU will be implemented through development of biennial Work Plans to be developed jointly, which describe specifically the activities to be carried out under this Cooperative Programme and which set forth the intended contributions of each party. These Work Plans may originate from either party but will require the full approval of both the Parties for implementation.

ARTICLE IV
Intellectual Property Rights and Publication

(i) "Work Product" shall mean any discoveries, improvements, designs and products arising directly in the performance of the Work Plans.

(ii) "ICAR Work Product" shall mean all Work Product developed solely by ICARs employees.

(iii) "OSU Work Product" shall mean all Work Product developed solely by OSU employees.

(iv) "Joint Work Product" shall mean all Work Product developed by one or more employees of both OSU and ICAR.

(v) Each party shall have the right to commercialize sole Work Products without restriction of the other party. Commercialization of Joint Work Products shall be done jointly through a separate agreement.

(vi) Each Party reserves the right to publish the general scientific findings from its own research, in accordance with each Party's own policies and practices, subject to the provisions of Article V below.

(vii) The use of the name, logo and/or official emblem of the Parties on any publication, document and/or paper will require prior permission of both the Parties. It may however be ensured that the official emblem and logo is not misused.

(viii) Both parties agree to ensure appropriate protection of Intellectual Property Rights generated from such cooperation consistent with their respective national laws, rules and regulations and other international agreements to which both parties are signatories.

ARTICLE V
Review

Each party reserves the right to publish the results of this collaboration. Before submission for publication, however, each party shall notify the other of its intention to publish, and shall submit the manuscript to the other party for review and comment. The reviewing party shall have thirty (30) days from receipt of the manuscript to present any written comments to the other party. The reviewing party's comments shall be given due consideration by the other party. The publication of the results may be delayed at the reviewing party's written request for a period not to exceed ninety (90) days if it contains a disclosure of an invention(s) on which either party desires to file a United States or foreign patent. It is understood that in no case can this provision for delay of publication cause a delay in the normal academic progress of a graduate student of either party with respect to preparation and submission of a graduate thesis or dissertation. Any ownership of Work Products will be determined pursuant to US or Indian patent laws.

ARTICLE VI
Nodal Points

Nodal Points for coordinating implementation of the MoU shall be as under:

On the part of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR):

Director, Department of Agricultural Research and Education (DARE), Ministry of Agriculture.

On the part of the Ohio State University :

Dr. J. Mark Erbaugh
Director
International Programs in Agriculture Office
The Ohio State University

Rm. 236 Agri. Admin. Bldg.
2120 Fyffe Rd.
Columbus, Ohio 43210
Tel: +1 (614)-292-7252
Email: erbaugh.1@osu.edu

ARTICLE--VII
Amendments

The Parties to this MoU may, by mutual written consent, add, modify, amend or delete any words, phrases, sentences or Articles in this MoU.

ARTICLE –VIII
Institutional Links

Both Parties will establish inter-institutional links between their respective similar scientific research institutes and centres.

ARTICLE IX
Financial Arrangements

In the case of scientific exchange visits, the sending Party shall meet all travel costs. For training and consultancy of Scientists financial arrangement shall be decided by mutual consent of both the Parties.

ARTICLE X
Validity / Termination

The MoU shall be effective from the date of its signing by both the Parties. It shall be valid for a period of five years. Thereafter, it may be renewed for additional periods of five years if both institutions, acting independently, agree in writing to renew it at least six (6) months before it expires. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity or duration of specific collaborative programmes already being undertaken thereunder, unless decided otherwise by the Parties by mutual consent.

IN WITNESS, whereof, the two Parties hereunto have signed at New Delhi on this ………… Day of …………………2014, in two originals, each in English and Hindi, both texts being equally authentic but, in the event of any doubt, the English text shall prevail.

FOR AND ON BEHALF OF THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Dr. S. Ayyappan Date
Director General,
Indian Council of Agricultural Research & Secretary, Department of Agricultural Research & Education

FOR AND ON BEHALF OF THE OHIO STATE UNIVERSITY

Dr. Bruce A. McPheron Date
Vice President, Agricultural Administration
Dean, College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences
The Ohio State University

Geoffrey S. Chatas Date
Senior Vice President for Business and Finance and CFO
The Ohio State University

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, भारत
एवं
खाद्य, कृषि और पर्यावरण विज्ञान कालेज,
ओहियो राज्य विश्वविद्यालय (ओ एस यू), कोलम्बस,
ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका
के बीच कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में
सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), जिसका कार्यालय,डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन,नई दिल्ली 110001 भारत में स्थित है और जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है (जिसे इसके बाद 'परिषद' कहा जाएगा) और खाद्य, कृषि और पर्यावरण विज्ञान कालेज, ओहियो राज्य विश्वविद्यालय, कोलम्बस, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे इसके बाद 'ओहियो राज्य विश्वविद्यालय' कहा जाएगा) इन्हें संयुक्त रूप से 'पक्षों' कहा जाएगा के बीच हुआ है ।

चूंकि परिषद को भारत में कृषि और पशुपालन शिक्षा, अनुसंधान और इसके अनुप्रयोग को आरंभ करने, सहायता, संवर्धन और समन्वयन करने का दायित्व सौंपा गया है और यह न केवल अनुसंधान के मामले में अपितु कृषि और सामान्यतया संबंधित मामलों में भी सूचना के शोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) के रूप में कार्य करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनिवार्य समझे जाने वाले अन्य सभी आनुषंगिक एवं सहायक कार्यों को करता है।

और जबकि ओहिओ राज्य विश्वविद्यालय की इच्छा है कि भारत में प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित किया जाए जिससे दशकों पूर्व से मूल रूप से स्थापित संबंधों के साथ पुनः संपर्क स्थापित किए जाने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकेगा।

अब इसलिए, परिषद और ओहियो राज्य विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान के विभिन्न विषयों में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और इसकी प्रगति को तीव्र करने संबंधी अपने समान लक्ष्यों से प्रेरित होकर इस समझौता ज्ञापन, जैसा कि इसमें निहित है,

से निम्नलिखित पर सहमत हैं :–

अनुच्छेद–1
लक्ष्य

एतद्द्वारा दोनों पक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सहमत हैं :–

(क) वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकी विदों का आदान प्रदान,
(ख) जनन द्रव्य एवं प्रजनन सामग्री का आदान प्रदान ,
(ग) वैज्ञानिक साहित्य, सूचना और प्रणाली विज्ञान का आदान प्रदान ,
(घ) सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का विकास एवं कार्यान्वयन क्षेत्रों और प्रणालियों को इस समझौते के अनुच्छेद–IV की बौद्धिक संपदा अधिकार की शर्त के अध्याधीन और परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाएगा ।

यह सहयोग निम्नलिखित साधनों से कार्यान्वित होगा :

(i) संबंधित पक्षों के संगठनों के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रभागों के बीच पारस्परिक संबंधों की स्थापना।
(ii) वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और विशेषज्ञों के आदान–प्रदान के लिए सुविधाओं का सृजन और उनका उचित नियोजन ।
(iii) वैज्ञानिकों और छात्रों को फैलोशिप प्रदान करना।

अनुच्छेद–2
कार्यान्वयन

परिषद और ओहियो राज्य विश्वविद्यालय दोनों संगठनों के बीच सहयोग के व्यावहारिक ब्यौरे का पता लगाने और सामान्य तौर पर इस समझौता ज्ञापन के उचित एवं कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपने स्टाफ के किसी सदस्य को नामित कर सकते हैं ।

अनुच्छेद–3
कार्य योजनाएं

यह समझौता ज्ञापन, संयुक्त रूप से विकसित द्विवर्षीय कार्य योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यकलापों का विशिष्ट रूप से उल्लेख होगा तथा इसमें प्रत्येक पक्ष के अभीष्ट योगदान

को प्रस्तुत किया जाएगा । यह कार्य योजनाएं किसी भी पक्ष द्वारा बनाई जा सकती हैं किंतु कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्षों का पूर्ण अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

अनुच्छेद–4
बौद्धिक संपदा अधिकार एवं प्रकाशन

(i) 'कार्य उत्पाद' का अर्थ, कार्य योजनाओं की निष्पत्ति से सीधे ही उत्पन्न किसी भी प्रकार की खोज, उन्नयन, नमूने और उत्पाद, होगा।

(ii) 'आई सी ए आर कार्य उत्पाद' का अर्थ केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों द्वारा विकसित सभी कार्य उत्पाद होगा।

(iii) 'ओ एस यू कार्य उत्पाद' का अर्थ केवल ओहियो राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा विकसित सभी कार्य उत्पाद होगा।

(iv) 'संयुक्त कार्य उत्पाद' का अर्थ ओहियो राज्य विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोनों के एक या अधिक कर्मचारियों द्वारा विकसित सभी कार्य उत्पाद होगा।

(v) प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह दूसरे पक्ष के प्रतिबंध के बिना अपने कार्य उत्पादों का व्यावसायीकरण कर सकता है। संयुक्त कार्य उत्पादों का व्यावसायीकरण एक अलग समझौते के तहत् संयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

(vi) प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार है कि नीचे दिए अनुच्छेद – v के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक पक्ष की अपनी नीतियों और पद्धतियों के अनुपालन में, अपने अनुसंधान से सामान्यतः वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रकाशित कर सकता है।

(vii) किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज और/या शोध पत्र पर पक्षों के नाम, लोगो और/या आधिकारिक प्रतीक का उपयोग करने के लिए दोनों पक्षों की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। तथापि, यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आधिकारिक प्रतीक और लोगो का दुरूपयोग न होने पाए।

(viii) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार, जो उनके अपने राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों से तैयार किया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, जिन पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं, का उचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

<u>अनुच्छेद–5</u>

समीक्षा

प्रत्येक पक्ष को इस सहयोग के परिणामों को प्रकाशित करने का अधिकार होगा। तथापि, प्रकाशन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष को प्रकाशन के बारे में अपने अभिप्राय स्पष्ट करेगा और दूसरे पक्ष को अपनी पाण्डुलिपि, उसकी समीक्षा और टिप्पणी हेतु प्रस्तुत करेगा। समीक्षक पक्ष पाण्डुलिपि प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उस पर अपनी लिखित टिप्पणी दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करेगा। समीक्षक पक्ष की टिप्पणियां, दूसरे पक्ष द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात् वापिस कर दी जाएंगी। परिणामों के प्रकाशन में नब्बे (90) दिनों की अवधि से अधिक विलम्ब नहीं हो सकता जिसके लिए समीक्षक पक्ष का लिखित अनुरोध आवश्यक है यह तभी संभव है जब किसी आविष्कार (आविष्कारों) का प्रकटीकरण करना अंतर्विष्ट हो, और उस पर यदि पक्षकार, संयुक्त राष्ट्र या विदेशी पेटेंट को फाइल करने की इच्छा रखता हो। यह स्पष्ट है कि किसी भी मामले में, प्रकाशन में देरी के लिए यह प्रावधान, स्नातक छात्रों की सामान्य अकादमिक प्रगति में स्नातक शोध कार्य और शोध निबंध की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए किसी पक्ष द्वारा बिलम्ब का कारण न बने। कार्य उत्पादों के लिए किसी भी प्रकार का स्वामित्व यू. एस. या भारतीय पेटेंट कानून के अनुसरण में ही निर्धारित होगा।

<u>अनुच्छेद–6</u>

नोडल पॉइन्टस (प्रमुख बिन्दु)

समझौता – ज्ञापन के कार्यान्वयन को समायोजित करने के लिए नोडल पॉइन्टस (प्रमुख बिन्दु) नीचे दिए गए हैं :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअप) की ओर से	ओहियो राज्य विश्वविद्यालय की ओर से
	डॉ0 जे. मार्क एर्बग
निदेशक, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) कृषि मंत्रालय	निदेशक, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन इग्रीकल्चर आफिस ओहियो राज्य विश्वविद्यालय कमरा नं0 226, एग्री. एडमिन बिल्डिंग, 2120 फिफ रोड, कोलम्बस, ओहियो – 43210 फोन + 1 (614)–292–7252 E mail: erbaugh.1@osu.edu

अनुच्छेद–7
संशोधन

इस समझौता – ज्ञापन के सभी पक्ष परस्पर सहमति से इस करार में कोई शब्द, वाक्य, वाक्यांश अथवा अनुच्छेद को जोड़, संशोधित अथवा हटा सकते हैं ।

अनुच्छेद–8
संस्थागत सम्पर्क

दोनों पक्ष अपने–अपने समान वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों के बीच अन्तर–संस्थागत सम्पर्क स्थापित करेंगे ।

अनुच्छेद–9
वित्तीय व्यवस्था

वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान दौरों के मामले में भेजने वाला पक्ष ही यात्रा व्यय वहन करेगा। प्रशिक्षण और वैज्ञानिकों के परामर्श के लिए वित्तीय व्यवस्था पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निर्णय लिया जाएगा।

अनुच्छेद–10
वैधता/समापन

यह समझौता – ज्ञापन दोनों पक्षों के इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा। यह पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा । इसके पश्चात् स्वतः पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत हो जाएगा जब तक कि स्वतंत्र रूप से कार्यरत दोनों पक्ष इसके समाप्त होने से कम से कम छः (6) महीने पहले, लिखित रूप से इसे नवीकृत करने के लिए सहमत नहीं हो जाते। इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से इसके अन्तर्गत पहले से ही शुरू किए गये विशिष्ट सहयोगात्मक कार्यक्रमों की वैधता या अवधि पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता ।

इस समझौता ज्ञापन की हिंदी और अंग्रेजी की दो मूल प्रतियों पर नई दिल्ली में 2014 को दिन, हस्ताक्षर हुए ,सभी पाठ अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी समान रूप से प्रामाणिक हैं । किसी संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
के लिए और के पक्ष में

एस. अय्यप्पन

डॉ. एस. अय्यपन,
महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

दिनांक :.................................

ओहियो राज्य विश्वविद्यालय
के लिए और की ओर से

डॉ. ब्रूस ए. मैकफैरन
उपाध्यक्ष, कृषि प्रशासनिक डीन
खाद्य,कृषि और पर्यावरण विज्ञान,कालेज
ओहियो राज्य विश्वविद्यालय

दिनांक : 23 Oct 2014

ज्यॉफरी एस. चैटस
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
व्यवसाय और वित्त एवं सी एफ ओ
ओहियो राज्य विश्वविद्यालय

दिनांक : 10/20/14